FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

सत्र अदालत न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट/अधिकारी, निवाई (टोंक–राज.)

प्रेम देवी बनाम नेहा

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए.   दावा नं0 – 99   सन् – 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म के तामील में जारी हुए
.05.2024	एडवोकेट श्री कौशल किशोर जाट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. बाबत् कृषि जोत हेतु रास्ता उपलब्ध करवाने हेतु हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यालय से रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ। अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर किया जावें। एक पक्षीय बहस अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर गौर किया गया। प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थी के पक्ष में होने, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में होने तथा अपूरर्णीय क्षति की संभावना को देखते हुये वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 1781/1129 रकबा 0.3794 हैक्टेयर ग्राम पहाडी पटवार हल्का पहाडी तहसील निवाई जिला टोंक में आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। तलबी अप्रार्थीगण की जरिये रजिस्टर्ड एडी से की, जाकर पत्रावली आगामी दिनांक 18/6/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)	
18/6/24	पत्रावली पेश हुई। आज P.O. अन्य राजकार्य/~~प्रशासन गांवो के संग अभियान 2010 में व्यस्त~~ हैं। पत्रावली अग्रिम आदेश दि0 11/7/24 को पेश हो। [illegible] 22/7 को पेश हो	
22/7	~~पत्रावली पेश हुई। अवलोकन किया गया। पत्रावली पूर्वानुसार~~ दिनांक 31/7/24 को पेश हो।	
	पत्रावली पेश हुई पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी ए जरिये अधिवक्ता न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत किया। प्रार्थनापत्र मे अंकितानुसार प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 178 रकबा 1.0117 है0 वाके ग्राम पहाडी पटवार हल्का पहाडी तहसील निवाई जिला टोंक मे स्थित हैं जिसके प्रार्थीगण काबिज काश्तकार है। उक्त भूमि पर आने जाने एवं कृषि कार्य के प्रयोजन से हल बैल टेक्टर, कृषि काम मे आने वाले सामान आदि ले जाने के लिए प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 1125 मे से होते हुए अप्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 1731/1129 ग्राम पहाडी तहसील निवाई का उपयोग करते है। खसरा नंबर 1781/1129 की पूर्वी मेड से होते हुए ख.न. 178 की भूमि मे अपनी भूमि तक जाते है। प्रार्थीगण की भूमि मे आने जाने के लिए उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। अप्रार्थी सं0 1 ने उक्त रास्ते को बंद उपखण्ड अधिकारी	

कर दिया तथा उक्त रास्ते का प्रयोग करने से मना कर दिया तथा उसने अपनी भूमि का रूपान्तरण करवा कर पुख्ता वाउन्ड्री बनवा ली और रास्ते को बंद कर दिया। इसलिए प्रार्थीगण को रास्ते के अभाव मे परेशानिया आ रही है। अतः प्रार्थीगण को अपनी भूमि मे जाने के लिए ख.न. 1125 मे से होते हुए अप्रार्थी की भूमि ख.न. 1781/1129 की पूर्वी मेड से स्थित रास्ते से आने जाने के लिए ढेड गटठा चौडा रास्ता दिया जावे तथा उक्त भूमि पर रास्ता तरमीम हुए विना ख.नं. 1781/1129 का भू रूपान्तरण नही करावे तथा रास्ते को बंद नही करें

आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलव किया गया।

प्रतिवादी सं0 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमे अंकितानुसार प्रतिवादी की भूमि व्यावसायिक भूमि है एवं कभी प्रार्थिया के रास्ते के उपयोग मे नही आ रही है। प्रार्थिया एन एच 12 से सुविधा पूर्वक रास्ता ले सकती है। प्रार्थीगण ने कभी भी उक्त रास्ते का प्रयोग नही किया। उक्त भूमि व्यावसायिक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण को उक्त भूमि मे से रास्ता नही दिया जा सकता है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिवक्ता वादी/आवेदक द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे जमाबंदी संवत 2072–75, जमाबंदी संवत 2079 (वर्ष 2022) मे स्थायी ग्राम पहाडी, नक्शा ट्रेस , आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे संपरिवर्तन आदेश, संपरिवर्तन हेतु सूचना, संपरिवर्तन संबंधी कार्यवाही की प्रति आदि प्रस्तुत किये जो शमिल पत्रावली है।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया।

हमने वाद पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र मे अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है, इसलिए प्रार्थी द्वारा न्यायालय के माध्यम से अपनी जोत मे जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता चाहा गया है। अपितु उक्त तथ्य सुखाचार का तथ्य है और काश्तकार के सुखाचार हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत धारा 251 के अनुसार प्रावधान किये गये है, लेकिन प्रस्तुत प्रकरण मे प्रार्थीगण द्वारा संपरिवर्तित भूमि मे से चाहा है, जो कि वर्तमान मे कृषि भूमि नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा मे निजी रास्ता एवं सुखाचार के प्रावधान है। उक्त अधिनियम के प्रावधान खेतो के रास्तो पर लागू होते है। प्रस्तुत प्रकरण मे प्रार्थीगण द्वारा संपरिवर्तित भूमि मे से रास्ता प्रस्तावित किया गया है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई ओर रास्ता प्रस्तावित नही किया गया। जबकि आस पास अन्य कृषि भूमि स्थित होना स्वाभाविक है। किसी भी सपंरिवर्तित भूमि मे से रास्ता दिये जाने पर जिस प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन कराया गया है, उसके मापदण्ड प्रभावित होने की पूर्ण संभावना है। इस प्रकार एक काश्तकार के सुखाचार के निदान हेतु दूसरे के हितो का हनन न्यायोचित प्रक्रिया नही है।प्रार्थीगण द्वारा अपने किसी भी साक्ष्य या दस्तावेज से यह साबित नही किया गया है कि उक्त रास्ता ही एक मात्र वैकल्पिक रास्ता है तथा सबसे निकटतम है। जबकि उक्त अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार वैकल्पिक रास्ते एवं निकटतम रूट वाले सिद्धान्त को साबित करना आवश्यक है। जिस प्रकार अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अपने जवाब मे अंकित किया है कि उक्त प्रस्तावित रास्ता एक मात्र रास्ता नही है प्रार्थीगणएन एच 12 से सुविधा

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पूर्वक रास्ता ले सकती है। इस तथ्य के प्रतिकार मे प्रार्थीगण ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है और ना ही वहस के दौरान उक्त संबंध मे कथन किया है। नक्शा ट्रेस के अवलोकन से भी प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त रास्ता नही होने का तथ्य स्पष्ट नही है, जवकि इस तथ्य को प्रार्थीगण को भली–भांति सावित करना आवश्यक है जिसमे वह असफल रहे हैं। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण मे अंकित तथ्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क के प्रावधानो को धारित नही करते है। अतः यह न्यायालय उक्त प्रार्थनापत्र को स्वीकार करना उचित नही समझता है।

फलतः प्रार्थनापत्र विधि सम्मत नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)